न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 42/2013/अपील

भंवरलाल पुत्र खेताराम जाति जाट उम्र 32 साल निवासी डुडियों की ढाणी (भीमा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट

बनाम

1. डालूराम पुत्र खेताराम
2. भागूराम पुत्र खेताराम
3. दीपाराम पुत्र खेताराम
   समस्त जाति जाट निवासी डुडियोंकी ढाणी, भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. ग्राम पंचायत, भीमा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—रेस्पोंडेट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 606 दिनांक 24.5.90 द्वारा
ग्राम पंचायत, भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति—

1. श्री रेखराम पारीक वकील अपीलांट की ओर से

निर्णय

दिनांक— 20.5.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 1187 ता 1190 किता 4 कुल रकबा 3.03 है0 वाके ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों के अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 1 ता 3 के पूर्वज (पिता) खेताराम की खातेदारी काश्तकारी में थी। उनकी मृत्यु होने पर उक्त वर्णित भूमियों का विरासत का ना.करण सं. 606 रेस्पो. सं. 4 द्वारा दिनांक 24.5.1990 को तस्दीक किया गया। ना.करण में अपीलांट का नाम भंवरलाल होते हुए भी भूराराम किया गया जो कि गलत किया गया जबकि अपीलांट का नाम शुरू से ही भंवरलाल रहा है, न कि भूराराम, इस कारण से विरासत का भरा गया ना.करण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तस्दीक किया गया ना.करण विरूद्ध कानून है। रेस्पो. सं. 4 ने ना.करण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया एवं विधिवत नोटिस जारी जारी नहीं कर तस्दीक किया गया है। इसलिए ना.करण निरस्त योग्य है। अपीलांट का नाम भूराराम नहीं होकर वास्तविक नाम भंवरलाल है। अपीलांट के शैक्षणिक दस्तावेज, राशन कार्ड एवं वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधारकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजात भंवरलाल के नाम दर्ज हैं उक्त कृषि भूमियों में सही नाम नहीं होने से कृषि भूमियों से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है तथा किसी भी बैंक ऋण सुविधा या अन्य प्रकार की सुविधा नहीं ले सकता तथा अगर घरेलू वैध आवश्यकता होने पर बेचान नहीं कर सकता। इस कारण उक्त ना.करण सं. 606 को निरस्त फरमाया जाना एवं पुनः अपीलांट का सही नाम से ना.करण तस्दीक करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अपीलांट अपनी प्राइवेट नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है। उक्त ना.करण का

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

अपीलांट को ज्ञान नहीं था। जब प्रथम बार अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेना चाहा तो इस गलत तस्दीक किये गये ना.करण का ज्ञान हुआ, इसके तुरन्त बाद ही ना.करण की नकल प्राप्त करने पर उक्त गलत ना.करण तस्दीक की नकल प्राप्त हुई, नकल प्राप्ति के बाद यह अपील माननीय न्यायालय में सावधि पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विवादित ना.करण सं. 606 दिनांक 24.5.1990 द्वारा ग्राम पंचायत, भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो. सं. 4 को पुनः सही ना0करण तस्दीक करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात में विरासत ना.करण सं. 606 दिनांक 24.5.1990 द्वारा ग्राम पंचायत, भीमा में अपीलांट का नाम भंवरलाल होना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत, भीमा के सरपंच द्वारा गलत रूप से अपीलांट का नाम भूराराम दर्ज किया गया। अपीलांट का वास्तविक नाम भंवरलाल है न कि भूराराम। अपीलांट की शैक्षणिक दस्तावेज, राशनकार्ड एवं वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधारकार्ड में और अन्य दस्तावेजात भंवरलाल के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमियों में सही नाम नहीं होने से सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है तथा अपीलांट के विधिक अधिकारें का हनन हो रहा है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 606 दिनांक 24.05.1990 बतस्दीक ग्राम पंचायत, भीमा तहसील दांतारामगढ खारिज फरमाया जावें।
4. हमने वकील अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा शैक्षणिक टी.सी, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, पासपोर्ट, पेनकार्ड, आधारकार्ड आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र खेताराम है ग्राम पंचायत, भीमा द्वारा बिना आधार के अपीलांट का नाम भंवरलाल के स्थान पर ना0करण सं. 606 दिनांक 24.5.1990 में भूराराम दर्ज कर दिया गया है जो भंवरलाल होना चाहिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 606 दिनांक 24.5.1990 बतस्दीक ग्राम पंचायत, भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर ना.करण पुनः तस्दीक करें। मिसल बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।
5. यह आदेश आज दिनांक 20.5.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ